

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार  
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

दिनांक : 27.03.2018

विधान सभा अतारंकित प्रश्न संख्या : 363

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने 08 अप्रैल, 2016 को भारत का राजपत्र (गजट) के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने और कम्पोस्ट या बायोगैस से कचरे के निष्पादन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।	शहरी विकास (एम.बी) जी हाँ।
ख	यदि हाँ तो उपरोक्त के संदर्भ में सरकार की कार्य योजना है।	शहरी विकास (एम.बी) 1. दिल्ली के लिए ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी राज्य सरकार की नीति/कार्यनीति की अधिसूचना 3 नवंबर, 2017 को जारी की गई है। 2. ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत अधिसूचना 15 जनवरी 2018 स्थानीय निकायों हेतु जारी की गई है।
ग	कौन सी एजेंसी इसके लिए निर्धारित की गई है	शहरी विकास (एम.बी) यह कार्य स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।
घ	कौन इसकी मॉनियटरिंग करेगा	शहरी विकास (एम.बी) उपरोक्तानुसार
च	गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से कचरे का निष्पादन किया जाना कब से सुनिश्चित किया जाएगा, विवरण दें, और	शहरी विकास (एम.बी) स्थानीय निकायों द्वारा कचरे का निष्पादन जारी है।
छ	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त नोटिफिकेशन का अनुपालन करवाना किस निकाय का दायित्व है	शहरी विकास (एम.बी) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

  
R. S. Parmar  
Dy. Secy. (Urban Development)  
Govt. of NCT of Delhi  
Delhi Secretariat